नगर निगम, झाँसी
तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस नियमावली

धारा 438 (1)
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959

नगर निगम, झाँसी।
झाँसी, उत्तर प्रदेश ।

Scanned with OKEN Scanner

झाँसी नगर निगम के नगर आयुक्त की तम्बाकू उत्पादों के विषय में लाइसेंस प्रदान करने हेतु नियमावली लागू करने की शक्ति

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा 2003) एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 (पेका 2019) में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है की तम्बाकू उत्पादों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 437 के अनुसार मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यापार के विनिमय की जिम्मेदारी नगर निगम के नगर आयुक्त के अधीन मानी गई है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438 (5) क और ख नगर आयुक्त को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह धारा 438 (1) के अधीन तम्बाकू उत्पाद, व्यापार और तम्बाकू के मानवीय उपयोग पर नियम-निर्देश लागू कर विधिवत लाइसेंस प्रदान करे और उल्लंघन होने पर तम्बाकू उत्पादों के व्यापार के लिए दिए गए लाइसेंस/अनुज्ञप्ति को रद्द कर सके।

Scanned with OKEN Scanner

नगर निगम, झाँसी।

समन्वय समिति के सदस्यों का विवरण।

क्र.	समन्वय समिति में सदस्यों का पद	समन्वय समिति के सदस्यों का पदनाम व विभाग
1	अध्यक्ष	महापौर, झाँसी नगर निगम।
2	उपाध्यक्ष	नगर आयुक्त, झाँसी नगर निगम।
3	सचिव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, झाँसी नगर निगम।
4	सदस्य	प्रतिनिधि जिलाधिकारी, झाँसी (अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी)।
5	सदस्य	समस्त अपर नगर आयुक्त, झाँसी नगर निगम।
6	सदस्य	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, झाँसी नगर निगम।
7	सदस्य	सम्पत्ति अधिकारी, झाँसी नगर निगम।
8	सदस्य	मुख्य चिकित्साधिकारी, झाँसी।
9	सदस्य	नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, झाँसी।
10	सदस्य	पुलिस अधीक्षक (नगर), झाँसी।
11	सदस्य	उच्च शिक्षाधिकारी, झाँसी।
12	सदस्य	जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी।
13	सदस्य	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
14	सदस्य	जिला कार्यक्रम अधिकारी, समेकित बाल विकास विभाग, झाँसी।
15	सदस्य	जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि अधिकारी, झाँसी।
16	सदस्य	नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य - 2
17	सदस्य	राष्ट्रीय समाचार पत्र के पत्रकार - 2
18	सदस्य	रेड क्रॉस सोसाइटी, झाँसी तथा उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के प्रतिनिधि - 2

Scanned with OKEN Scanner

वेंडर लाइसेंसिंग नियमावली

1. नियमावली प्रभावी होने की तिथि

यह निर्बंधन एवं शर्तें झाँसी नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा जारी आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

2. तम्बाकू की दुकान का प्रकार

झाँसी नगर निगम तम्बाकू उत्पादों को बेचने हेतु स्थायी एवं अर्धस्थायी (थोक व् खुदरा तम्बाकू विक्रय केंद्र) के रूप में एकल दुकानों को नियमानुसार लाइसेंस जारी करेगा। अस्थायी तथा सचल दुकानें पंजीकरण के अयोग्य होंगी तथा इन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। एक व्यक्ति एक लाइसेंस का नियम अपनाया जायेगा तथा एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

3. तम्बाकू व्यापार के लाइसेंस के लिए पात्रता

- वह भारत का नागरिक हो।
- आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो।
- आवेदनकर्ता केवल तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करता हो।
- एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी न्यूनतम 500 मीटर की हो।
- दुकान पर कोटपा 2003 के नियमानुसार बोर्ड लगा हो।
- महानगर में लगभग 1000 की जनसँख्या पर 01 दुकान हो।
-

4. वार्षिक लाइसेंस शुल्क का निर्धारण

तम्बाकू विक्रय दुकान हेतु वार्षिक लाइसेंस जारी करने हेतु नगर निगम वार्षिक शुल्क रुपया 1000/- (थोक दुकानों हेतु) तथा रुपया 500/- (खुदरा दुकानों हेतु) प्राप्त कर रसीद प्रदान करेगा तथा वार्षिक शुल्क का सत्र निर्धारण माह अप्रैल से मार्च तक माना जायेगा।

5. वार्षिक लाइसेंस का नवीनीकरण

तम्बाकू विक्रय दुकान खोलने हेतु जारी लाइसेंस का नवीनीकरण झाँसी नगर निगम करेगा। इस हेतु वार्षिक शुल्क रुपया 800/- (थोक दुकानों हेतु) तथा रुपया 200/- (खुदरा दुकानों हेतु) प्राप्त कर रसीद प्रदान करेगा। नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में कराना आवश्यक होगा। समय पर नवीनीकरण न कराने पर पुनः रुपया 1000/- (थोक दुकानों हेतु) तथा रुपया 500/- (खुदरा दुकानों हेतु) का भुगतान करने पर दुकान का नवीनीकरण नगर निगम कर सकेगा।

6. कोटपा अधिनियम का अनुपालन

नगर निगम झाँसी भारत सरकार के कोटपा अधिनियम का अनुपालन निम्नवत सुनिश्चित करेगा

- दुकानदार कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार किसी भी नाबालिक को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा और न ही नाबालिक के द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री कराई जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

- कोटपा की धारा 6 ब के अनुसार तम्बाकू बिक्रय केंद्र किसी भी शिक्षण संस्थान की चाहरदीवारी से कम से कम 100 गज़ की दूरी पर स्थित होगा।
- दुकान पर कोटपा के नियमानुसार बोर्ड लगा हो।
- दुकान पर कोटपा के नियमानुसार बिक्री की जाने वाली सामग्री की सूची लगी हो।
- दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

7. पेका अधिनियम का अनुपालन

नगर निगम झाँसी भारत सरकार के पेका अधिनियम का अनुपालन निम्नवत सुनिश्चित करेगा

- दुकानदार पेका की धारा 4 के अनुसार किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/वेपिंग डिवाइस का उत्पादन, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री अथवा विज्ञापन इत्यादि नहीं करेगा।
- दुकानदार पेका की धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/वेपिंग डिवाइस का भण्डारण नहीं करेगा।

8. अन्य दुकानों द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबन्ध

झाँसी नगर निगम की सीमा के भीतर बिंदु संख्या 2 में वर्णित अन्य किसी भी दुकान को तम्बाकू बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा एवं तम्बाकू विक्रय केंद्र के लाइसेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी दुकान पर गैर तम्बाकू उत्पादों यथा टॉफी, चॉकलेट, कैंडी, पेय पदार्थों व अन्य खाद्य पदार्थों इत्यादि की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके उल्लंघन पर नगर निगम झाँसी नियमानुसार कारवाही करने हेतु अधिकृत होगा तथा इस स्थिति में दुकान का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नगर निगम झाँसी के पास रहेगा।

9. तम्बाकू उत्पाद बिक्री सम्बन्धी नियमों का परिवर्तन

समय समय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों तथा नियमों में परिवर्तन किये जाने पर नगर निगम झाँसी इस नियमावली में परिवर्तन कर सकती है।

10. पंजीकरण व् नवीनीकरण प्रक्रिया

- तम्बाकू विक्रेताओं द्वारा नगर निगम झाँसी को आवेदन निर्धारित आवेदन फॉर्म संख्या 22 पर किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदन की जांच नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
- जांच में सही पाए गए प्रतिष्ठान को पंजीकरण प्रमाण पत्र व् लाइसेंस जारी किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा।
- जारी प्रमाण पत्र व लाइसेंस को दुकान पर चंस्पा करना अनिवार्य होगा।
- थोक विक्रेता हेतु जी एस टी पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

11. नामित अधिकारी

नगर निगम झाँसी की सीमा के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय उपयोग पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है जो जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से तथा अपर नगर आयुक्त (ए) के निर्देशन में उपरोक्त कार्य सम्पादित करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

नगर निगम झाँसी।

तम्बाकू विक्रय केंद्र के लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

आवेदनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

I. नाम -
II. पिता/पति का नाम -
III. जन्मतिथि -
IV. पत्राचार का पता -
V. स्थायी पता -
VI. मोबाइल नंबर –
VII. विक्रय केंद्र हेतु प्रस्तावित स्थान का पता –
VIII. आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या(छायाप्रति संलग्न करें) -
IX. आवेदित लाइसेंस का प्रकार - थोक ☐ खुदरा ☐
X. जी एस टी पंजीकरण संख्या(थोक विक्रेता हेतु)-
XI. लाइसेंस आवेदन का वर्ष –
XII. प्रस्तावित दुकान की दूसरी दुकान से दूरी (मीटर में) –
XIII. प्रस्तावित दुकान की शिक्षण संस्थानों से दूरी (मीटर में) –

घोषणा

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस प्रार्थना पत्र में दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर इस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

लाइसेंस शुल्क नगर निगम झाँसी रसीद संख्या .... (छायाप्रति संलग्न करें)

दिनाँक
स्थान

प्रार्थी का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

नगर निगम झाँसी।

तम्बाकू विक्रय केंद्र के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

आवेदनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

I. नाम -
II. पिता/पति का नाम -
III. पत्राचार का पता -
IV. मोबाइल नंबर –
V. विक्रय केंद्र हेतु प्रस्तावित स्थान का पता -
VI. आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या(छायाप्रति संलग्न करें) –
VII. आवेदित लाइसेंस का प्रकार - थोक ☐ खुदरा ☐
VIII. जी एस टी पंजीकरण संख्या(थोक विक्रेता हेतु)-
IX. लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन का वर्ष -
X. वर्तमान लाइसेंस की संख्या व् जारी करने का वर्ष(छायाप्रति संलग्न करें) –

घोषणा

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विगत वर्ष से तम्बाकू विक्रय हेतु विक्रय लाइसेंस संख्या .... स्थान .... पर चला रहा/रही हूँ। इस अवधि में मेरे विरुद्ध न ही कोई शिकायत की गयी है और न ही मैंने तम्बाकू विक्रय से सम्बंधित किसी भी नियम अथवा कानून का उल्लंघन किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी के लाइसेंस संख्या .... का नवीनीकरण पुनः एक वर्ष के लिए करने का कष्ट करें। इस हेतु प्रार्थी ने लाइसेंस शुल्क नगर निगम झाँसी में रसीद संख्या .... (छायाप्रति संलग्न करें) से जमा कर दिया है।

इस प्रार्थना पत्र में दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर इस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनाँक
स्थान

प्रार्थी का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner